सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **175/2017** दायर दिनाँक **23.06.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मानाराम मुत्र मूलाराम, उम्र–50साल, जाति–जाट, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. चुनाराम पुत्र सोनाराम, 2. रामीदेवी पत्नी हणमान, 3. खेमाराम पुत्र गीदाराम, 4. भँवरीदेवी पत्नी गोरधन, 5. डमाराम पुत्र गोरधन, 6. घासीराम पुत्र गोरधन, 7. थ्वरदीदेवी पत्नी बालूराम, 8. क्मला पुत्री बालूराम, 9. सेवाराम पुत्र बालूराम, 10. कानाराम पुत्र बालूराम, 11. बोदूराम पुत्र बालूराम, 12. टीकूराम पुत्र नोलाराम, 13. श्रामनिवास पुत्र मांगूराम, 14. गणेशाराम दत्तकपुत्र जीवणराम, 15. मूलाराम पुत्र बिरदाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा– 53, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादी उपस्थित।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक **06.06.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद मौजा तारपुरा में खसरा नम्बर 80 रकबा 12.07 बीघा व खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05 बीघा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 की खातेदारी की अवस्थित है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 175/2017
दायर दिनाँक 23.06.2017, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 06.06.2018
मानाराम बनाम् चुनाराम, वगैरा।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद मौजा तारपुरा में खसरा नम्बर 80 रकबा 12.07 बीघा व खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 के बीच किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 16 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 05, 06, 08, 10, 12 ता 14 ने राजीनामा पेश किया, जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम तारपुरा सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 06/06 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–खाखोली में प्रकरण पेश हुआ। वादी उपस्थित। वादी वाद में प्राथमिक निर्णय किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। वाद में पूर्व में पक्षकारान् के बीच राजीनामा हो चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद मौजा तारपुरा के वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 सहखातेदारान् हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार हैं।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 175/2017
दायर दिनाँक 23.06.2017, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 06.06.2018
मानाराम बनाम् चुनाराम, वगैरा।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा तारपुरा में खसरा नम्बर 80 रकबा 12.07 बीघा व खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05 बीघा, भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव में, पक्षकारान् को विभाजन से उनके हिस्सों में आने–जाने हेतु रास्ते की सामुहिक भूमि प्रस्तावित करते हुए, विभाजन प्रस्ताव दौ प्रतियों में तैयार कर, पेश किया जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाखोली

प्राथमिक निर्णय, आज दिनाँक 06.06.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाखोली

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–**175–2017**/रीडर/2018/ दिनाँक 6/6/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –प्राथमिक निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा– 53, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मानाराम पुत्र मूलाराम, उम्र–50साल, जाति–जाट, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	**1.** चुनाराम पुत्र सोनाराम, जाति–जाट, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। प्राथमिक निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाखोली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **175/2017** दायर दिनाँक **23.06.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मानाराम मुत्र मूलाराम, उम्र—50साल, जाति—जाट, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. चुनाराम पुत्र सोनाराम, 2. रामीदेवी पत्नी हणमान, 3. खेमाराम पुत्र गीदाराम, 4. भँवरीदेवी पत्नी गोरधन, 5. उमाराम पुत्र गोरधन, 6. घासीराम पुत्र गोरधन, 7. बिरदीदेवी पत्नी बालूराम, 8. कमला पुत्री बालूराम, 9. सेवाराम पुत्र बालूराम, 10. कानाराम पुत्र बालूराम, 11. बोदूराम पुत्र बालूराम, 12. टीकूराम पुत्र नोलाराम, 13. रामनिवास पुत्र मांगूराम, 14. गणेशाराम दत्तकपुत्र जीवणराम, 15. मूलाराम पुत्र बिरदाराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा— 53, R.T.Act.

दिनाँक **12.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा तारपुरा में खसरा नम्बर 80 रकबा 12.07 बीघा व खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05 बीघा, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक एसपीएल—01 दिनाँक 12.06.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 12.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत..........
..........–......................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–..........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **12.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–निमोद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–निमोद

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **175/2017** दायर दिनाँक **23.06.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मानाराम मुत्र मूलाराम, उम्र–50साल, जाति–जाट, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. चुनाराम पुत्र सोनाराम, 2. रामीदेवी पत्नी हणमान, 3. खेमाराम पुत्र गीदाराम, 4. भँवरीदेवी पत्नी गोरधन, 5. उमाराम पुत्र गोरधन, 6. घासीराम पुत्र गोरधन, 7. बिरदीदेवी पत्नी बालूराम, 8. कमला पुत्री बालूराम, 9. सेवाराम पुत्र बालूराम, 10. कानाराम पुत्र बालूराम, 11. बोदूराम पुत्र बालूराम, 12. टीकूराम पुत्र नोलाराम, 13. रामनिवास पुत्र मांगूराम, 14. गणेशाराम दत्तकपुत्र जीवणराम, 15. मूलाराम पुत्र बिरदाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा– 53, R.T.Act.

उपस्थित:–

1. पक्षकारान्।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **12.06.2018**

शरहद मौजा तारपुरा में खसरा नम्बर 80 रकबा 12.07 बीघा व खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05 बीघा, का बन्टवारा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 06.06.2018 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 175 / 2017
दायर दिनाँक 23.06.2017, निर्णय दिनाँक 12.06.2018
मानाराम बनाम् चुनाराम, वगैरा।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प–निमोद में पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने कैम्प में क्रमांक एसपीएल–01 दिनाँक 12.06.2018 द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनाँक 12.06.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा तारपुरा में खसरा नम्बर 80 रकबा 12.07 बीघा व खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05 बीघा, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक एसपीएल–01 दिनाँक 12.06.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 12.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–निमोद

निर्णय आज दिनाँक **12.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–निमोद

Scanned by CamScanner